नमस्कार साथियों,

आज जिस विषय पर बात करने के लिए हम सब यहां एक्ट्रित हुए है वह है Psychotropic and Narcotics Drug उम्मीद करता हूँ कि आप को इस विषय की basic Detail पता होगी जैसे कि NDPC Act. यह एक्ट 14 नवम्बर, 1985 से लागु किया गया है। आखिर यह एक्ट क्यों इस देश में लाना पड़ा आप जानते होगें कि गांजा, भांग, चरस, OPIUM, कोका और अफींम। इनका इस्तेमाल दवाईयां बनाने के लिए किया जाता है। परन्तु जब लोग इनका इस्तेमाल नशे के लिए करने लगते है तो overuse के कारण यह देश समाज और उस इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है जो इसका इस्तेमाल नशे के लिए करने बचने बनाने उगाने आदि के लिए नियम बनाऐ गए जिसमें इसका गलत प्रयोग करने पर सजा का भी प्रावधान रख गया है। जिसके बाद समय समय पर स्थिति/मांग अनुसार 1988/2001 2014 में इस एक्ट में amendments भी किए गए।

हमारी सरकार द्वारा इसी के निरंतर में सन 2018 में Drugs Demand Reduction योजना को लागु किया जा चुका है जिसमें 2025 को ध्यान में रखते हुए long term रणनिति तैयार की गई है। इसमें कई बातों पर ध्यान दिया जा रहा है जैसे

- Preventive education
- Awareness generation
- Capacity Building
- उपचार और पुर्नवास

इसमें राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा मिल कर drugs demand को कम करने के लिए कार्यकर्म भी किए जा रहे है। साथीयों जाने अनजाने में हमारे बहुत से युवा व अन्य इस नशे की आदत में घिर गए है यह देश समाज और स्वय उसके व उसके परिवार के लिए बहुत घातक है क्योंकि पड़ोसी देश इस नशे के व्यापार से हमारे देश से ही पैसा कमा कर व उस पैसे से हथियार व गोला बारूद खरीद कर हमारे ही सैनिको पर हमला करते है। मै आज इस मंच के माध्यम से इस सभा में मौजुद आप सब से निवेदन करना चाहता हुँ कि इस विषय पर बे वजय राजनिति ना करते हुए हम सब मिल कर इस नशे से खुद को व अपने देश वासियों को सुरक्षित करें और एक नार बुलंद करे SAY NO TO DRUGS.

इस मंच के माध्यम से मै मनोज तिवारी BJP प्रार्टी के 2019 के घोषणा पत्र में शामिल Uniform Civil Code पर आपने विचार आप लोगो के सामने रखने आया हुँ उम्मीद करता हूँ कि आप इस विषय पर बे वजह राजनिति ना करते हुए भारत की तरक्की के लिए इसको लागु कराने के लिए हमारा साथ दोगें।

भारत में UCC को लेकर केवल बहस ही चल रही जबकि ऐसे बहुत से देश है जो कि इसको लागु भी चुके है। इसमें Pakistan, Turkey, Indonesia, Malaysia Sudan, Egypt जैसे देश शामिल है। यदि मेरे साथी इस मसले को समझना चाहते है तो आप आज यहां एक दम सही जगह पर है। UCC का अर्थ है समान नागरिक सहिता यानि देश में प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानुन फिर चाहे वो किसी भी धर्म अथवा सम्प्रदाय का हो UCC लागु होने पर देश में सभी धर्मी के लोगो पर शादी, बयाह, तलाक, गोद लेने विरास्त, संपति बट्वारे को लेकर एक ही कानून लागु होगा। धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को कोई अलग से लाभ प्राप्त नहीं होगा। इन मुदों से जुडे विवाद जो कई सालो से न्याय पालिका में लंम्बित पडे है उन पर भी जल्द फैसला होगा और न्याय पालिका का बोझ कम होगा। इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। क्योंकि कुछ धर्मों के Personal Law में महिलाओं के अधिकार सीमित है इससे उनके अधिकारो में इजाफा होगा। परन्तु विपक्षी प्रार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तथा अपनी प्रार्टी का अस्तित्व बचाये रखने के लिए बे वजह देश तथा सबकी तरक्की के लिए जरूरी इस कानून को लागू ना करने के लिए अपना जोर लगा रहीं है। मै मनोज तिवारी इस मंच के माध्यम से देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि यदि यह कानून लाग् होता है तो खासकर महिलाओं तथा देश की तरक्की के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारी सरकार इसको लागु करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोडेगी, क्योंकि मोदी है तो मुमिकन है।

भारत माता की जय।